

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2509
जिसका उत्तर गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में रिक्तियां

2509 श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों के 216 और अपर न्यायाधीशों के 186 पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : तारीख 16.03.2022 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1104 न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या के विरुद्ध न्यायाधीशों के ऐसे 405 रिक्त पदों को छोड़कर जिन्हे भरा जाना है 699 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं । उच्च न्यायालयों में स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण **उपाबंध** पर है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । राज्य और केन्द्र दोनों स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से सलाह और अनुमोदन अपेक्षित है । विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया गया है । उच्च न्यायालयों में

न्यायाधीशों की रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन से हो रही है और न्यायाधीशों की पद संख्या में बढ़ोतरी भी कारण है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया जापान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का रिक्तियों के होने से छह माह पूर्व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव आरंभ करना अपेक्षित है । सरकार, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में केवल उन्हें व्यक्तियों को नियुक्त करती है, जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा सिफारिश की गई है । 405 न्यायाधीशों की रिक्तियों में, से 175 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर है । उच्च न्यायालय कॉलेजियम से और सिफारिशें उच्च न्यायालय में 230 रिक्तियों के संबंध में ग्रहण की जानी है ।

उपाबंध

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्तियों को दर्शित करने वाला एक विवरण

(16.03.2022 तक)

	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या			कार्यरत संख्या			रिक्तियां		
		पीएमटी	एडीडी एल	कुल	पीएम टी.	एडीडी एल	कुल	पीएम टी	एडीडी एल	कुल
1	इलाहाबाद	120	40	160	74	19	93	46	21	67
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	26	0	26	2	9	11
3	बोम्बे	71	23	94	51	7	58	20	16	36
4	कलकत्ता	54	18	72	31	8	39	23	10	33
5	छत्तीसगढ़	17	5	22	10	3	13	7	2	9
6	दिल्ली	45	15	60	33	0	33	12	15	27
7	गुवाहटी	18	6	24	17	6	23	1	0	1
8	गुजरात	39	13	52	32	0	32	7	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	10	3	13	8	1	9	2	2	4
10	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	13	0	13	0	4	4
11	झारखंड	19	6	25	19	1	20	0	5	5
12	कर्नाटक	47	15	62	39	6	45	8	9	17
13	केरल	35	12	47	27	12	39	8	0	8
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	35	0	35	5	13	18
15	मद्रास	56	19	75	44	15	59	12	4	16
16	मणिपुर	4	1	5	3	1	4	1	0	1
17	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18	ओडिशा	24	9	33	21	0	21	3	9	12
19	पटना	40	13	53	25	0	25	15	13	28
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	43	6	49	21	15	36
21	राजस्थान	38	12	50	26	0	26	12	12	24
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	19	0	19	13	10	23
24	त्रिपुरा	4	1	5	5	0	5	-1	1	0
25	उत्तराखंड	9	2	11	7	0	7	2	2	4
	कुल	833	271	1104	614	85	699	219	186	405
